

13/10/25

पत्राण आज पेश हुई। वादी वकील उपर
वादी वकील द्वारा दावा को नोट-प्रेस
के आधार पर खारिज करने हेतु निवेदन
किया गया एवं अपनी अंडरटेकिंग
आदेशिका पर की गई। दावा को आगे
चलाना नहीं चाहते हैं। अतः पत्राण
नोट प्रेस के आधार पर इसी स्तर पर खारिज
की जाती है। पत्राण जैसल शुमार लेकर
कारिवाल हफ्तर ले।

Note
press
Journal

अध्यापक अधिकारी
जयपुर (परतपुर)

विशेष निदेशक / हेतु तर्प छात्र विभाग
विश्वविद्यालय / जयपुर

